निर्देश - अतितत्काल

यह जानकारी प्राप्त हुई है कि राराप्रप्रौके (आरआरकेट) के सीएचएसएस लाभार्थियों को जारी किए गए विभिन्न निर्देशों की अवहेलना करके बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन आर आर केट चिकित्सा केन्द्र (आरएमसी) का दौरा कर रहे हैं जो कि पूर्व में जारी ऑफिस ऑर्डर नंबर 14/05/2020-GAC / 676 दिनांक 31 मार्च, 2020 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है । यह कोविड-19 (COVID-19) वायरस के व्यापक प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्व्यापी युद्ध के संकल्प की पूर्ण अवज्ञा है । यह सर्व जन को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार को बाधित करने के इस युद्ध का एकमात्र साधन यह है कि हम सभी अपने घरों में स्वयं को सीमित कर सुरक्षित कर लें, जिस हेतु देश में व्यापक तालाबंदी एवं साथ ही आईपीसी की धारा 144 लगाने का निर्णय भारत सरकार को लेना पड़ा; अतः प्रत्येक व्यक्ति और सभी जन को अगले आदेश तक अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है । घर के बाहर किसी भी व्यक्ति के इस प्रकार निकलने के कारण, न केवल उन्हें स्वयं को कोविड-19 (COVID-19) वायरस से संक्रमित होने का खतरा है, अपितु दूसरी और इस कारण से अत्यंत महत्वपूर्ण आर आर केट चिकित्सा केन्द्र (आरएमसी) के आवश्यक कर्मचारियों एवं अन्य के स्वास्थ्य और कार्यप्रणाली के लिए खतरा उत्पन्न हो जायेगा ।

इन्दौर नगर और उसके आसपास तेजी से बढ़ रहे कोविड -19 (COVID-19) संक्रमण के मामलों को देखते हुए, सीएचएसएस लाभार्थियों से एक बार फिर से उपरोक्त कार्यालय आदेश में निहित निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया जाता है, जिसकी अवहेलना एवं अनुपालन न करने वाले उन सभी कर्मचारियों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जो साधारण और महत्वहीन शिकायतों के लिए स्वयम या उनके आश्रित सीधे डिस्पेंसरी जाते हैं । इसमें तत्काल कार्यवाही कर उक्त कार्यालय आदेश का उल्लंघन करने के कारण सीएचएसएस सदस्यता का तत्काल प्रभाव से निलंबन हो सकता है । यह पुनःश्च स्मरण कराया जाता है कि आर आर केट चिकित्सा केन्द्र (आरएमसी) में प्रवेश केवल उन्हीं लाभार्थियों को दिया जाएगा जिन्हें आरएमसी डॉक्टर-ऑन-ड्यूटी द्वारा उनके टेलीफोन परामर्श के आधार पर 'व्यक्तिगत

परामर्श' (इन पर्सन कंसल्टेशन) के लिए डिस्पेंसरी में आने की अनुमति दी गई हो । सभी सीएचएस लाभार्थियों से अत्यंत आग्रहपूर्वक अनुरोध किया जाता है कि वे उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें |

तथापि, कोविड -19 (COVID-19) वायरस संक्रमण के संदेहास्पद मामले, यदि कोई होंगे तो उन्हें, आरएमसी डॉक्टरों द्वारा इन्दौर नगर निगम द्वारा निर्देशित प्रक्रिया के तहत निर्दिष्ट चिकित्सालयों में भेजने की व्यवस्था की जाएगी |

उपरोक्त हेतु सक्षम अधिकारी की सहमति प्राप्त है ।

कोविड -19 (**COVID-19**) **वायरस के संक्रमण के विस्तार के विरुद्ध इस राष्ट्र व्यापी युद्ध** में एक सैनिक बन कर **लड़ें और राष्ट्र की इसमें विजय हेतु सहयोग दें ।**

सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए घर पर ही रहें ।

प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रशासन